न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रियांबडी (नागौर)
बइजलास श्री गौरीशंकर शर्मा,आर.ए.एस
राजस्व वाद संख्या : 327/2017

वादीनी :–

1–सीमा पुत्री नन्दकिशोर जाति ब्राहमण
निवासी डोडीयाना तहसील रियांबड़ी जिला नागौर

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1–मीनू पुत्री नन्दकिशोर
2–पवन कुमार पुत्र नन्दकिशोर
3–नन्दकिशोर पुत्र मोहनराम
सभी जातियान ब्राहमण निवासीगण डोडीयाना तहसील रियांबड़ी
4–तहसीलदार रियांबड़ी
5–पटवारी हलका डोडीयाना

वकील वादी– श्री उम्मेदपुरी गौस्वामी
वकील प्रतिवादीगण –श्री ज्योतिपुरी,रामजस जाजड़ा

दावा बाबत घोषणा खातेदारी अंतर्गत धारा 88 आरटीएक्ट 1955

निर्णय

दिनांकः–17.5.2018

वादी निम्नलिखित वाद पेश करते हैः–

1– यह है कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1से 3 एक ही परिवार के सदस्य है तथा हिन्दु है तथा हिन्दु विधि की मिताक्षरा शाखा की बनारस स्कूल से गर्वन होते है।

2–यह है कि ग्राम सूदवाड़ की सरहद में स्थित खेत खसरा नंबर 321 रकबा 33 बीघा 18 बिस्वा,खसरा नंबर 321/1 रकबा 0.10 बीघा कुल रकबा 34 बीघा 08 बिस्वा में सें 1/2 हिस्सा की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 3 के नाम आई हुई है। जो प्रतिवादी संख्या 3 को पैतृक खातेदारी के रूप में प्राप्त हुई है। खतौनी की नकल संलग्न है।

3–यह है कि उपरोक्त खसरान की खातेदरी प्रतिवादी संख्या 3 नन्दकिशोर अकेले के नाम दर्ज हो गई है। जबकि उपरोक्त खातेदारी में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का भी बराबर बराबर हक हिस्सा आया हुआ है। जिससे उपरोक्त खसरान की खातेदारी में

राजस्व लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी
रियांबड़ी (नागौर)

प्रतिवादीगण संख्या 3 के नाम जो 1/2 खातेदारी में दर्ज की गई है उसमें वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 का बराबर बराबर 1/2 में सें 1/4–1/4 हक हिस्सा घोषित करवाने हतू वादीनी को यह घोषणा का वाद पेश करना लाजमी हुआ जो पेश है।

4–यह है कि मौके पर तो वादीनी व प्रतिवादीगण उपरोक्त खसरान के 1/2 भाग में सें 1/4–1/4 भाग पर सुविधानुसार काश्त व काबिज है,लेकिन खातेदारी में वादीनी व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का नाम दर्ज नहीं होने से वादीनी व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 अपने खातेदारी हक अधिकारो के मेहरूम हो रहे है। जिससे अपने हक अधिकारो की घोषणा करवाने हेतू वादीनी यह वाद श्रीमान जी के समक्ष पेश कर रही है।

5–यह है कि वादीनी को हाल ही में जानकारी हुई है कि प्रतिवादीगण संख्या 3 उपरोक्त खेत खसरान में अपने अकेले के नाम 1/2 खातेदारी होने से उपरोक्त खसरान को बेचान करने पर उतारू है। जबकि प्रतिवादीगण 3 का उपरोक्त खेत में सें 1/2 में सें 1/4 हक हिस्सा ही है। जिससे यदि प्रतिवादीगण संख्या 3 अपने नापाक मन्सूबों में सफल हो गया तो वादीनी व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 अपने हक अधिकारो से मेहरूम हो जायेगें। मुकदमें बाजी बढेगी। जिससे वादीनी को यह वाद पेश करना आवश्यक हो गया।

6–यह है कि बिनाय दावा दिनांक 6.12.2017 को प्रतिवादीगण संख्याा 3 ने वादीनी को ऐलानियां धमकी दी कि उनको उपरोक्त खसरान में कोई हक व हिस्सा नही है तथा प्रतिवादी संख्या 3 उपरोक्त खसरान में से अपने नाम आई सम्पूर्ण 1/2 हक हिस्से की खातेदारी का बेचान कर देगा, तब ग्राम सूदवाड़ में पैदा हुअ जो हर वक्त हो रहा है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन के जबाब हेतू तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से वकील ज्योतिपुरी ने वकालतनामा पेश किया तथा प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से वकील रामजस जाजड़ा ने वकालतनामा पेश किया तथा जबाब हेतू समय चाहा गया। जिस पर वकील प्रतिवादीगण को समय दिया गया। प्रतिवादी संख्या 4 का सम्मन बाद तामिल के प्राप्त हुआ। बावजूद तामिल के गैर हाजिर रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही की गई। वकील प्रतिवादीगण को पर्याप्त समय देने के उपरांत जबाब पेश नहीं करने पर जबाब बंद किया गया।

वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादी ने बताया कि वादग्रस्त आराजी वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता प्रतिवादी संख्या 3 के नाम संयुक्त खातेदारी की दर्ज है। वादग्रस्त आराजी पैतृक है और 1/2 प्रतिवादी संख्या 3 का हैं। जिसमें वादीनी व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का समान हक व हिस्सा है। इसलिए वादीनी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का वादग्रस्त आराजी में 1/4–1/4 हिस्सा है सो घोषित किया जावे।

वकील प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को बहस हेतू आवाज दी गई मगर कोई उपस्थित नहीं हुए।

वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी मौजा सूदवाड़ का अवलोकन किया गया जिससे विदित होता है कि वादग्रस्त आराजी नन्दकिशोर,सत्यनारायण पिसरान मोहनराम के नाम दर्ज है। जिसमें प्रतिवादी संख्या 3 का 1/2 हिस्सा है। 1/2 हिस्सा में से वादीनी व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का 1/4–1/4 हिस्सा है जिसकी खातेदारी घोषणा चाही है। जो वाजिब है। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की और से कोई उपस्थित नहीं हुआ जिससे यह विदित होता है कि उनको कोई आपत्ति नही है। अगर किसी प्रकार का ऐतराज होता तो अपना पक्ष जरूर रखते।

अतः समस्त विवेचन से वादीनी का वाद स्वीकार किया जाता है। तथा मौजा सूदवाड़ के खेत खसरा नंबर 321 रकबा 33 बीघा 18 बिस्वा,खसरा नंबर 321/1 रकबा 0.

अध्यक्ष
राजस्व लोक अदालत
कोम्प .....
रियां बड़ी

10 बीघा कुल रकबा 34 बीघा 08 बिस्वा में सें 1/2 हिस्सा में सें 1/4–1/4 हिस्सा वादीनी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की खातेदारी का घोषित किया जाता है। "

तहसीलदार रियांबड़ी उपरोक्तानुसार खातेदारी का ईन्द्राज राजस्व रेकार्ड में कर राजस्व रेकार्ड दुरूस्त किया जावें। इसी आशय का डिकी पर्चा जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

नोटः–उपरोक्त खसरान में सें अगर बैंक के रखा गया हो तो रहन यथावत रहेगा।

अध्यक्ष
(गौरीशंकर शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
रियांबड़ी
राजस्व लोक अदालत
कैम्प–सुदवाड़

निर्णय आज दिनांक 17.05.2018 को राजस्व लोक अदालत कैम्प सुदवाड़ में सुनाया गया ।

अध्यक्ष
(गौरीशंकर शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
रियांबड़ी
राजस्व लोक अदालत
कैम्प–सुदवाड़